UPME010101202025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश/
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (V.B.U.P.S.E.B.), एवं मेरठ।

उपस्थित **रवि यादव**
(एच.जे.एस)
J.O. CODE-U.P. 6430

क्रिमिनल केस वाद संख्या 46/1032/2025
उत्तर प्रदेश सरकार बनाम अशोक कुमार।
मु0अ0सं0–355 सन् 2019
अंतर्गत धारा–13(1) बी सपठित धारा 13 (2)
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018
थाना–विजय नगर, जिला गाजियाबाद।

दिनांक 12.08.2025

पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रार्थनापत्र 99ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपर्युक्त मामले में अभियुक्त अशोक कुमार है और अभियुक्त/आवेदक को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2025 के समन आदेश द्वारा 10.07.2025 को उपस्थित होने के लिए बुलाया गया था। आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया कि अभियुक्त/आवेदक दिनांक 09.07.2025 को न्यायालय के समक्ष स्वेच्छा से और अपनी स्वतंत्र इच्छा से उपस्थित हुआ और उसने शपथ पत्र और वकालतनामे के साथ दिनांक 09–07–2025 को बी.एन.एस.एस. (पुरानी धारा 88 सीआरपीसी) की धारा 91 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया है जो इस न्यायालय के समक्ष लंबित है।

धारा 91 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत उपर्युक्त आवेदन, अभिलेख/फाइल सहित, दिनांक 10–07–2025 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, अर्थात् निर्धारित तिथि पर, अभियुक्तध्आवेदक पुनः स्वेच्छा से और अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने अधिवक्ताओं के साथ इस माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, न्यायालय द्वारा अभियुक्त/आवेदक को मौखिक रूप से उचित जमानत आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया गया तथा धारा 91 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत उपर्युक्त आवेदन पर सुनवाई हेतु दिनांक 11–08–2025 नियत की गई। आवेदक द्वारा दिनांक 10–07–2025 को धारा 91 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन में अतिरिक्त आधारों के साथ अतिरिक्त सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने और पूरक हलफनामा प्रस्तुत करने हेतु वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। 09–07–2025 और इस माननीय न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाश में लाना, जिन्हें अभियोजन पक्ष (संबंधित 1.0) द्वारा जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से छुपाया गया है।

अभियुक्त/आवेदक को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और यहां तक कि जांच एजेंसी/विवेचनाधिकारी ने केस डायरी संख्या– 84 पृष्ठ संख्या 940176 और आरोपपत्र दिनांक 04–06–2025 में उल्लेख किया है कि रूटीन में अभियुक्त को गिरफ्तार करना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं हो रहा है। जैसा कि आवेदन में धारा 91 बीएनएसएस दिनांकरू 09–07–2025 के तहत उल्लेख किया गया है, सीआरपीसी की धारा 41/41ए का अनुपालन जानबूझकर छोड़ते हुए अवैध रूप से आरोपपत्र दाखिल करने का कार्य भी सतेंद्र कुमार अंतिल (इंफ्रा) सतीश कुमार रवि (इंफ्रा) और अशोक कुमार (इन्फ्रा) के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन और अवमानना की है, जैसा कि आगे विस्तार से बताया गया है।

जांच अधिकारी ने कानून का उल्लंघन करते हुए, जानबूझकर याचिकाकर्ता/अभियुक्त के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) और धारा 13(2) के तहत आरोप पत्र दायर किया है, जैसा कि भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित किया गया है, जबकि ये धारा कथित अपराध के घटित होने की कथित अवधि में अस्तित्व में भी नहीं थी।

नियमों के अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) और 13(2) जैसा कि भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित किया गया है, इस मामले में लागू नहीं होती हैं क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं है।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा CRLP संख्या 12341/2019 अशोक कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य में पारित आदेश दिनांक 09–05–2019 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) (इ) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 0355/2019 के अनुसरण में, थाना विजय नगर, जिला गाजियाबाद, याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। उक्त आदेश की प्रति इस तात्कालिक मामले में अभिलेख/फाइल पर दर्ज की जानी आवश्यक है, जो धारा 91 BNSS के अंतर्गत आवेदन में पूरक हलफनामा/अनुपूरक आवेदन के साथ दायर किया जा रहा है, जिसमें कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं किया गया है।

अभियुक्त/आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसने कथित रूप से कोई अपराध नहीं किया है, प्रथम सूचनाकर्ता/जांच अधिकारी और जांच अधिकारी ने आरोपी आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 17 अप्रैल, 2025 को जारी परिपत्र संख्या JTRI/2025 सभी जिला न्यायाधीशों, सभी प्रधान न्यायाधीशों, पारिवारिक न्यायालय, सभी पीठासीन अधिकारियों को जारी किया गया।

आरोपी/आवेदक द्वारा धारा 91 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सतेंदर कुमार अंतिल बनाम सीबीआई एवं अन्य मामले में एस.एल.पी. (सीआरएल.) संख्या 5191/2021 में पारित आदेश के आलोक में, अलग से जमानत आवेदन दायर करने पर जोर दिए बिना विचार किया जाए।

परिपत्र सी.एल. संख्या 11/2023/प्रशासन जी–II दिनांक इलाहाबाद 27/04/2023 माननीय रजिस्ट्रार जनरल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों को विषय द्वारा जारी निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 5191/2021, जिसका शीर्षक सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य है।

दुर्भावनापूर्ण तरीके से, निरीक्षक अशोक शर्मा सहित जांच अधिकारी/अभियोजन पक्ष, जिन्होंने सीआरएलपी संख्या–12341/2019 अशोक कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 9.5.2019 के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में प्रति–शपथपत्र भी दाखिल किया है। अंतिम निरीक्षक राम सहाय ने, नाजायज मांगों की पूर्ति न होने के कारण, इस आदेश को छुपाया है न तो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश का सम्मान किया, भले ही आवेदक/अभियुक्त ने उन्हें (अभियोजन पक्ष को), माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदान की थी, न ही उन्होंने उपरोक्त आदेश को केस डायरी का हिस्सा बनाया और केस डायरी में इसका उल्लेख करने से अवैध रूप से जानबूझकर चूक की, जबकि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को रिकॉर्ड पर लाना/केस डायरी का हिस्सा बनाना उनका कर्तव्य था क्योंकि यह उनकी जानकारी में बहुत अच्छी तरह से था।

वर्तमान मामले के अपराध क्रमांक में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश को स्वीकृति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना, एल.ओ./निरीक्षक राम सहाय का कर्तव्य था। यह देखना उनका कर्तव्य था कि वर्तमान मामले के अपराध क्रमांक में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है या नहीं। साथ ही, उन्होंने अभियुक्तध्आवेदक को अनुचित हानि पहुँचाने और अभियुक्त/आवेदक की छवि धूमिल करने के लिए इस माननीय न्यायालय से जबरदस्ती निषेध के इस आदेश को जानबूझकर छिपाया, और अवमाननापूर्वक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की उन धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया जो कथित अपराध के समय लागू भी नहीं थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति अपील (सीआरएल) संख्या 9859/2023 सतीश कुमार रवि बनाम झारखंड राज्य ने दिनांक 01–10–2024 के आदेश में स्पष्ट राय व्यक्त की है कि आरोप–पत्र दाखिल करना और आरोप–पत्र दाखिल करने को उचित ठहराना प्रथम दृष्टया इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 18 अगस्त, 2023 के अंतरिम आदेश का जानबूझकर उल्लंघन है। मामला यहीं समाप्त नहीं होता।

उपर्युक्त जॉच अधिकारी(एस) ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीआरएलपी संख्या 12341/2019 अशोक कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य में दिनांक 09–05–2019 के उपरोक्त आदेश को छिपाकर इस माननीय न्यायालय को गुमराह किया है। साथ ही, अंतिम निरीक्षक राम सहाय ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ष्याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, के इस आदेश का जानबूझकर उल्लंघन और अवमानना करते हुए इस आदेश को इस न्यायालय से छिपाकर दिनांक 04–06–2025 को इस न्यायालय के समक्ष अवैध रूप से आरोप पत्र दाखिल किया है।

इस प्रकार, यह न केवल अवमाननापूर्ण और अवैध है, बल्कि अभियुक्त/आवेदक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी है और प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों के विरुद्ध भी है। न्याय के प्रति अभियुक्त के विरुद्ध घोर पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है और यह स्पष्ट रूप से विधि प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

अभियुक्त/आवेदक दिनांक 11/08/25 को इस माननीय न्यायालय के समक्ष इस आवेदन के साथ निर्धारित तिथि पर स्वेच्छा से, अपनी स्वतंत्र इच्छा से उपस्थित हो रहा है और विधि के अनुसार आगे की न्यायालय कार्यवाही में भाग ले रहा है तथा भाग लेने का इच्छुक भी है।

उपरोक्त के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से निम्नलिखित याचना की गयी है।

(1) माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित सीआरएलपी संख्या–12341/2019 अशोक कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य में दिनांक 09–05–2019 के आदेश को अभिलेख में लिया जाए/दायर किया जाए।

(2) आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत धारा 91 बीएनएसएस, 2023 दिनांक 09–07–2025 के अंतर्गत आवेदन को बिना किसी जमानत आवेदन पर जोर दिए स्वीकार करने पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी (सीआरएल) संख्या 5191/2021 में पारित भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कथन के अनुपात निर्णय की पुष्टि करने वाला आदेश पारित किया जाए।

(3) माननीय रजिस्ट्रार जनरल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों को जारी परिपत्र सी.एल. संख्या 11/2023/प्रशासनश्जी–II दिनांक इलाहाबाद 27/04/2023 पर विचार कर पुष्टिकरण आदेश पारित करना। विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 5191/2021, जिसका शीर्षक सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य है, में जारी निर्देश।

(4) अभियुक्त/आवेदक को, उसे जेल भेजे बिना/न्यायिक हिरासत में लिए बिना, वर्तमान मामले में बीएनएसएस की धारा 91 के तहत इस माननीय न्यायालय में निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, ऐसा बंधपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देना, जैसा उचित समझा जाए।

अपने कथन के समर्थन में शपथपत्र अशोक कुमार कागज संख्या 100ख, माननीय उच्च न्यायालय क्रिमिनल मि0 रिट पैटीशन नंबर 12341 सन् 2019 में पारित आदेश दिनांकित 09.05.2019 की फोटो प्रति संलग्न 1, गजट ऑफ इंडिया कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 26 जुलाई 2018 की फोटो प्रति संलग्न 2, गजट ऑफ इंडिया असाधारण संलग्न 3 फोटो प्रति, गजट ऑफ इंडिया असाधारण फोटो प्रति संलग्न 4, गजट ऑफ इंडिया असाधारण संलग्न 5 फोटो प्रति, माननीय उच्चतम न्यायालय पैटीशन स्पेशल लीव अपील (क्रिमिनल) नंबर (एस) 9859/2023 सतीश कुमार रवि बनाम राज्य झारखंड़ की प्रति संलग्न 6 व माननीय उच्चतम न्यायालय पैटीशन स्पेशल लीव अपील (क्रिमिनल) नंबर (एस) 9859/2023 सतीश कुमार रवि बनाम राज्य झारखंड़ की रिकॉर्ड ऑफ प्रोसिडिंग फोटो प्रति संलग्न 7 दाखिल किये गये हैं।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र पर विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि प्रार्थनापत्र कानून पोषणीय नहीं है तथा अभियुक्त जमानत पर भी नहीं है तथा प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की है।

प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा पत्रावली व माननीय न्यायालय की विधि–व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।

बी.एन.एस.एस की धारा 91 में यह प्रावधानित है कि ''जब कोई व्यक्ति, जिसकी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी समन या वारंट जारी करने के लिये सशक्त है, ऐसे न्यायालय में उपस्थित है तब वह अधिकारी उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में, जिसको मामला विचारण के लिये अंतरित किया जाता है, अपनी हाजिरी के लिये बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करें।''

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त अशोक कुमार के विरूद्व धारा 13 (1) बी सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित अधिनियम 2018 थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद के अंतर्गत आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिस पर न्यायालय के आदेश दिनांक 01.07.2025 के अनुसार प्रसंज्ञान लिया गया तथा वाद दर्ज रजिस्टर कर, पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 10.07.2025 नियत की गयी तथा अभियुक्त का समन जारी किया गया। अभियुक्त न्यायालय उपस्थित नहीं आ रहा है, बल्कि उसकी ओर से न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रार्थनापत्र 99ख जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त प्रकरण में जमानत पर नहीं है।

चूँकि प्रकरण में न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्व धारा 13 (1) बी सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित अधिनियम 2018 थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद में प्रसंज्ञान दिनांक 01.07.2025 को लिया जा चुका है तथा न्यायालय के द्वारा समन जारी किये गये है।

उपरोक्त तथ्य व परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये, प्रार्थी/अभियुक्त का प्रार्थनापत्र 99ख निस्तारित किये जाने योग्य है।

तद्नुसार प्रार्थनापत्र 99ख निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 28.08.2025 को पेश हो।

दिनांक 12.08.2025

(रवि यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण
(V.B.U.P.S.E.B.), मेरठ।
J.O. CODE-U.P. 6430

This is uncertified copy for information/ reference.
For authentic copy please refer to certified copy only.

Pankaj Kumar
(P.A.)